2016 का अधिनियम संख्यांक 72

[दि माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 है ।

धारा 3 का संशोधन ।

1957 का 67

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

'(क) "पट्टाधीन क्षेत्र" से खनन पट्टे में विनिर्दिष्ट ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके भीतर खनन संक्रियाएं की जा सकती हैं और इसके अंतर्गत खंड (झ) में यथानिर्दिष्ट खान की परिभाषा के अधीन आने वाले क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित

और अनुमोदित गैर-खनिज क्षेत्र भी है ;

(कक) "खनिजों" के अंतर्गत खनिज तेलों के सिवाय सभी खनिज आते हैं ;'।

धारा 12क का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु जहां खनन पट्टा नीलामी के माध्यम से दिए जाने से भिन्न माध्यम से प्रदान किया गया है और जहां ऐसे खनन पट्टे से खनिजों का, आबद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, वहां ऐसे खनन पट्टों को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन और ऐसी रकम या अंतरण प्रभारों के संदाय पर, जो विहित किए जाएं, अंतरित किए जाने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए "आबद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग" पद से पट्टेदार के स्वामित्वाधीन किसी विनिर्माण इकाई में खनन पट्टे से निकाले गए खनिज की संपूर्ण मात्रा का उपयोग अभिप्रेत है ।'।

धारा 13 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में खंड (थथञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(थथञक) धारा 12क की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन निबंधन और शर्तें तथा रकम या अंतरण प्रभार।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खानों और खनिजों के विकास और विनियमन को शासित करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. उक्त अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) में यह उपबंध है कि खनिज रियायतों का अंतरण केवल ऐसी रियायतों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो नीलामी के माध्यम से प्रदान की गई हैं । केंद्रीय सरकार को औद्योगिक संगमों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें यह कथन किया गया है कि उक्त उपधारा से कठिनाई हो गई है, जो आबद्ध पट्टे रखने वाली किसी कंपनी के विलयन और अर्जन को अनुज्ञात नहीं करती है । केंद्रीय सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा 2009 की रिट याचिका (सिविल) सं0 562 तथा 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं0 435 में किए गए संप्रेक्षणों की दृष्टि से खनन अपशिष्टों के पाटन के लिए क्षेत्रों की बाबत स्पष्टीकरण मांगने वाले अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं ।

3. इसलिए विधिमान्य कारबार संव्यवहारों को सुकर बनाने के लिए नीलामी के माध्यम से दिए जाने से भिन्न माध्यम से प्रदत्त आबद्ध खनन पट्टों के अंतरण का उपबंध करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है । पट्टा क्षेत्र में, उसमें खनिज विष्ठाओं के पाटन को सम्मिलित करके, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए "पट्टाधीन क्षेत्र" को परिभाषित करने की भी आवश्यकता का अनुभव किया गया था ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
14 मार्च, 2016

नरेंद्र सिंह तोमर

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, नीलामी के माध्यम से दिए जाने से भिन्न माध्यम से प्रदान किए गए खनन पट्टों और जहां ऐसे खनन पट्टे से खनिज का, आबद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, के अंतरण को अनुज्ञात करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का संशोधन करने के लिए है ।

2. विधेयक में, यदि अधिनियमित किया गया, कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित होना संभाव्य नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 3, नीलामी के माध्यम से दिए जाने से भिन्न माध्यम से प्रदान किए गए खनन पट्टों और जहां ऐसे खनन पट्टे से खनिज का, आबद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, के अंतरण को अनुज्ञात करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 12क की उपधारा (6) में एक परंतुक अंत:स्थापित करने के लिए है । उक्त परंतुक, ऐसे निबंधनों और शर्तों तथा ऐसी रकम या अंतरण प्रभारों के संदाय को, जिसके अध्यधीन खनन पट्टा अंतरित किया जा सकेगा, विहित करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

2. वे विषय, जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और प्रस्तावित विधान में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्यांक 67) से उद्धरण

* * * * * * *

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

* * * * * * *

खनिज रियायतों का अन्तरण ।

12क. (1) इस धारा के उपबंध प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों को लागू नहीं होंगे ।

* * * * * * *

(6) खनन रियायतों का अन्तरण केवल उन रियायतों के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो नीलामी के माध्यम से अनुदत्त की गई हैं ।

* * * * * * *

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और खनन पट्टों का अनुदान विनियमित करने के लिए नियम

खनिजों के बारे में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

13. (1) * * * * * *

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) "खनिज" के अन्तर्गत खनिज तेलों के सिवाय सब खनिज है ;

* * * * * * *

(थथत्र) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन चयन के लिए निबंधन और शर्तें तथा प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत बोली लगाने के पैरामीटर भी है ;

* * * * * * *

GMGIPMRND—5066LS (CRC)—14-03-2016.